ACHIEVERS IAS ACADEMY

SUMMARY OF THE HINDU

FOR BPSC EXAMINATION

HINDI

DATE

12/12/2023

+91 8434931877, +91 7250667974
www.achieversiaspatna.co.in

Orchid Mall, Boring Road, (Opps.- A. N. College) Patna-800001

THE HINDU National

SC ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द करने को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट (SC) की 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को वैध ठहराया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रमुख बातें ये हैं:
जम्मू-कश्मीर भारत के अंतर्गत केवल एक विशेष मामला है - जम्मू-कश्मीर को अन्य राज्यों से अलग 'आंतरिक संप्रभुता' प्राप्त है और अनुच्छेद 370 के तहत इसकी स्थिति केवल असममित संघवाद का एक रूप थी।
370 अस्थायी प्रावधान - ऐतिहासिक संदर्भ से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 370 केवल एक अस्थायी प्रावधान है।
370 (3) के तहत राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का एकतरफा अधिकार प्राप्त था। संविधान सभा भंग होने के बाद सत्ता समाप्त नहीं हुई।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधता पर मामले के बारे में:

अनुच्छेद 370, जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, जिसके कारण इसका अपना संविधान, अपना झंडा, सरकारी हस्तक्षेप बहुत सीमित था।2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था और, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत, जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था।
याचिकाकर्ता कह रहे थे कि भारत सरकार के पास अनुच्छेद 370 को हटाने की कोई शक्ति नहीं है और इसे हटाना संवैधानिक रूप से अवैध है।
अनुच्छेद 370 में प्रावधान था कि इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा निरस्त किया जा सकता है, लेकिन केवल जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के परामर्श के बाद।
1957 में जम्मू-कश्मीर संविधान सभा भंग कर दी गई। याचिकाकर्ता यह कह रहे थे कि अनुच्छेद 370 स्थायी है क्योंकि जम्मू-कश्मीर विधानसभा अस्तित्व में नहीं है।

फैसलेके अन्यमहत्वपूर्णबिंदु

- अदालत ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने की जांच करना अनावश्यक पाया। अदालत ने भारत चुनाव आयोग को 30 सितंबर, 2024 से पहले चुनाव कराने का निर्देश दिया।
- SC ने लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करने के फैसले को वैध ठहराया।
- पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने ट्वीट में एक्स पर लिखा

"यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की घोषणा है।"

संघर्ष जारी रहेगा: जम्मू-कश्मीर की पार्टियाँ

जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक दलों ने सोमवार को केंद्र के फैसले को बरकरार रखने वाले शीर्ष अदालत के फैसले पर निराशा व्यक्त की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख उमर अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताने वाले नेताओं में गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे.

बीजेपी ने चौंकाया, मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुना

एक आश्चर्य की बात है कि उज्जैन (दक्षिण) से भाजपा विधायक मोहन यादव को मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री चुना गया है। दो डिप्टी स्पीकर भी चुने गए हैं.
पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेन्द्र सिंह तोमर को अगले विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।

राज्य आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के कार्य जांच के लिए खुले: SC

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को माना कि अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा और राष्ट्रपति की उसके बाद की कार्रवाइयों में "उचित संबंध" होना चाहिए।
यानि कि राष्ट्रपति शासन बिना वजह के नहीं लगाया जा सकता, इसे लगाने का उचित आधार होना चाहिए।
जम्मू और कश्मीर के संबंध में:

यह संकट 19 जून 2018 को शुरू हुआ, जब बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया।

संवैधानिक मशीनरी की विफलता के कारण अगले ही दिन राज्यपाल ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। बमुश्किल एक महीने बाद राज्यपाल ने विधान सभा भंग कर दी और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।
पाकिस्तान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का 'कोई कानूनी मूल्य नहीं' है

पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जालिन अब्बास जिलानी ने कहा, ''अंतर्राष्ट्रीय कानून 5 अगस्त, 2019 को भारत की अवैध कार्रवाई को मान्यता नहीं देते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समर्थन का कोई कानूनी मूल्य नहीं है। प्रासंगिक यूएनएससी प्रस्तावों के अनुसार कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अपरिहार्य अधिकार है।

न्यायमूर्ति कौल ने निष्पक्ष "सच्चाई और सुलह" पैनल का आह्वान किया

अनुच्छेद 370 पर फैसला सुनाने वाले पांच न्यायाधीशों में से एक न्यायमूर्ति संजय कृष्ण कौल ने "निष्पक्ष सत्य और सुलह" स्थापित करने की सिफारिश की। आयोग " ।

आयोग राज्यों और गैर-राज्य अभिनेताओं दोनों द्वारा घुसपैठ किए गए मानवाधिकार उल्लंघन की रिपोर्ट की जांच करेगा।

The ACHIEVERS IAS ACADEMY

World

गाजा के शहरों में युद्ध भड़कने के कारण नागरिक गोलीबारी की चपेट में आ गए

इजरायली सेना ने इजरायल के दो सबसे बड़े शहरों, खान यूनिस और मुख्य शहर गाजा में फिलिस्तीनी आतंकवादियों से लड़ाई की। इसके अलावा जबालिया शहर में भी इजरायली सेना और हमास उग्रवादियों के बीच भारी लड़ाई देखी गई।

माना जा रहा है कि हमास को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सोमवार को उसने तेल अवीव पर रॉकेटों की बौछार कर दी

y it fired barrage of rockets on Tel Aviv .

गाजा हमले के विरोध में फिलिस्तीनियों ने हड़ताल शुरू कर दी है

गाजा में इजरायली हमले के खिलाफ फिलिस्तीनियों के विरोध प्रदर्शन के कारण वेस्ट बैंक और पूर्वी येरुशलम में दुकानें, स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद रहे।

गाजा के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लेबनान में भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल देखी गई।

फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में तुर्की के कई हिस्सों में भी रोक देखी गई।

मसौदा जलवायु समझौता जीवाश्म ईंधन को 'चरणबद्ध तरीके से ख़त्म' करने में विफल रहा

दुबई के सीओपी 28 के तहत मसौदा समाधान दस्तावेज में कोयले के खिलाफ कड़े शब्द जोड़े गए हैं।

शब्द "तेज़ी से चरणबद्ध तरीके से बेरोकटोक कोयले को ख़त्म करना" को शामिल किया गया है। पहले यह मुहावरा था जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करना।

भारत, इंडोनेशिया और चीन जो कोयला बिजली के प्रमुख उपभोक्ता हैं और विकासशील देशों को यह आपत्तिजनक लग सकता है।

भारत में बिजली का बड़ा हिस्सा कोयले से आता है।

जीवाश्म ईंधनको जलानेसे ग्रीनहाउस उत्सर्जनका लगभग 80% योगदान होता है, जिसमें कोयला लगभग 40% होता है और तेल और गैस सामूहिक रूप से शेष होते हैं।

देश वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं।

जीवाश्म ईंधन का बर्नो जी

भारत, चीन

कोयले को तेजी से चरणबद्ध तरीके से खत्म करना, जिससे भारत, चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों को मुश्किल हो रही है।

पाठ/संदर्भ

क्या बिहार अपना आरक्षण पूल बढ़ा सकता है?

17 नवंबर को बिहार के राज्यपाल ने राज्य में नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मात्रा बढ़ाकर 75% करने से संबंधितदो कानूनों को मंजूरी देदी, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, पिछड़ा वर्ग के लिए 18%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25% शामिलहै। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10%।

सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने हालांकि अपने पिछले फैसले में 50% आरक्षण सीमा पर जोर दिया है।

एससी जजनेट

- 1963 एमआर बालाजी मामला - SC ने आरक्षण को संवैधानिक योजना के तहत "अपवाद" और "विशेष प्रावधान" के रूप में समझाया। इसलिए उन्हें 50% से ज्यादा पोस्ट नहीं दी जा सकती.
- 1976- सुप्रीम कोर्ट ने अपवाद के बजाय समानता के पहलू के रूप में आरक्षण पर फिर से जोर दिया। लेकिन 50% सीमा अपरिवर्तित रही।
- 1990 मंडल आयोग मामला - नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 50% मामले को बाध्यकारी नियम माना, हालांकि अपवाद के बिना नहीं। कोई राज्य विशेष परिस्थितियों में सीमा को पार कर सकता है।
- 103वां संवैधानिक संशोधन - ईडब्ल्यूएस (आर्थिक कमजोर वर्ग) के तहत 10% अतिरिक्त आरक्षण, इसका मतलब है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण सहित सीमा 60% है।

अन्य राज्य जो पहले ही 50% कोटा सीमा पार कर चुके हैं वे हैं: छत्तीसढ़ (72%), तमिलनाडु (69%), अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड (80%), लक्षद्वीप (100%)

दोनों कानूनों पर फिर से बहस छिड़ गई है

The ACHIEVERS IAS ACADEMY